रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2010/कार्तिक 11, 1932
No. 608] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2010/KARTIKA 11, 1932

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 877(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और उप-निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में, हिन्दी अनुवादक कॉडर समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ख' पद), हिन्दी अनुवादक, भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक)	70* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
30 वर्ष तक। 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉंच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ;	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी या अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो और साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान या समतुल्य।

2. **शारीरिक मानदंड :–**

	पुरूष	**स्त्री**
ऊँचाई	170 सें.मी.	157 सें.मी.

टिप्पण 1 : न्यूनतम मानदंड जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाओं, डोगरों, मराठाओं, सिक्किमिओं, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के पुरूषों के लिए 165 से0मी0 तथा स्त्रियों के लिए 155 से0मी0 तक शिथिल की जा सकी है।

टिप्पण 2 : न्यूनतम मानदंड, जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, अनुसूचित जनजातियों के, जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं, पुरूषों के लिए 162.5 से0मी0 तथा स्त्रियों के लिए 154 से0मी0 तक शिथिल की जा सकती है।

	साधारण	**जनजातियों/आदिवासी**
सीना :	80 सें.मी. (बिना फुलाए)	77 सें.मी.
	85 सें.मी. (फुलाकर)	82 सें.मी.

भार : ऊंचाई के तत्समान

3. **चिकित्सा मानदंड :**

(क) **दृष्टि** :– सभी बाबत चिकित्सक दृष्टता योग्य होना चाहिए, (बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंख की दृष्टि 6/6 और 6/9 हो)

(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पॉव, स्फीत शिरा या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा (जिसके अन्तर्गत सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन भी हैं) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा :** ऐसे उप निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) में से, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.—** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल या अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने पी.बी.–2, 9300–34800 रू. धन ग्रेड वेतन, 4200 रू. या समतुल्य वाले पदों पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (8) में अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

	टिप्पण 1 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** :– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। **टिप्पण 4** :– प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन** : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक)	2* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)					

4264 GI/10-2

30 वर्ष तक।

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण.— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ऐसा स्नातक, जिसके पास हिन्दी मुख्य विषय के रूप में तथा अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान । 2. **शारीरिक मानदंड :–** **पुरूष** **स्त्री** **ऊँचाई** 170 सें.मी. 157 सें.मी. **टिप्पण 1** : न्यूनतम मानदंड जां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाओं, डोगरों, मराठाओं, सिक्किमिओं, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के पुरूषों के लिए 165 से0मी0 तथा स्त्रियों के लिए 155 से0मी0 तक शिथिल की जा सकी है। **टिप्पण 2** : न्यूनतम मानदंड, जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, अनुसूचित जनजातियों के, जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं, पुरूषों के लिए 162.5 से0मी0 तथा स्त्रियों के लिए 154 से0मी0 तक शिथिल की जा सकती है। **साधारण** **जनजातियों/आदिवासी** **सीना :** 80 सें.मी. (बिना फुलाए) 77 सें.मी. 85 सें.मी. (फुलाकर) 82 सें.मी. **भार** : ऊंचाई के तत्समान 3. **चिकित्सा मानदंड :** (क) **दृष्टि** :– सभी बाबत चिकित्सक दृष्टता योग्य होना चाहिए, (बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंख की दृष्टि 6/6 और 6/9 हो) (ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पॉव, स्फीत शिरा या वक्र दृष्टि **का नही होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें** अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा** : केन्द्रीय सरकार के विभागों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों से ऐसे अधिकारी, जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू. और ग्रेड वेतन 2800 रू. में छः वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता है :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ऐसा स्नातक, जिसके पास हिन्दी मुख्य विषय के रूप में तथा अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान हो। (ii) हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी मे अनुवाद और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का दो वर्ष का कार्यसाधक ज्ञान। **टिप्पण 1** :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** :– प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन** : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) उप कमांडेंट/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. I. 12013/4/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2010

G.S.R. 877(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Hindi Translator) and Sub-Inspector (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' of the Hindi Translator Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force (Group 'B' Posts) Hindi Translators Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in CPMFs, shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of the rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Inspector (Hindi Translator).	70* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band 2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.
(7)	(8)
30 years. 1.Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Master's Degree from a recognised university in Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree from a recognised university in any subject other than Hindi and English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; OR Master's Degree from a recognised university in any subject other than Hindi and English with Hindi or English as the medium of examination and English or Hindi as a compulsory or elective subjects or as medium of examination at the degree level; OR Bachelor's Degree from a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as compulsory or elective subject plus a recognised Diploma or Certificate course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Department including Government of India Undertakings and working knowledge of computer application or equivalent. **Physical Standards:-** **Men** **Women** Height : 170 cms 157 cms Note.1—The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 cms for males and 155 cms for females belonging to the hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States. Note.2—The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 cms for males and 154 cms for females of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas. General Tribals/Adivasis Chest : 80 cms (Unexpanded) 77 cms 85 cms (Expanded) 82 cms Weight : Corresponding to height.

	Medical Standards: (a) Eye sight: Should be medically fit in all respects (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing glasses). (b) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits	90% by direct recruitment. 10% by promotion failing which by deputation or absorption (inclusive of deputation or re-employment of Armed Forces personnel) failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(12)

By promotion:
From amongst Sub-Inspector (Hindi Translator) with five years regular service in the grade who have qualified pre-promotional training or course prescribed by the department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

By deputation/absorption:
Officers of Indo-Tibetan Border Police Force or other Central Police Organisations or State Police holding:

(a) (i) analogous post on a regular basis; or

(ii) Posts in PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent with five years regular service in the grade.

(b) Possessing educational qualifications laid down in column (8) for direct recruits.

Note 1.— Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 4.— For purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation and re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of,— 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force : Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force : Member 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force : Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Sub-Inspector (Hindi Translator).	2* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band 2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)
30 years. 1. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Graduate from a recognised university with Hindi as one of the main subject and English as an elective subject and working knowledge of computer application. **Physical Standards :-** Men / Women Height: 170 cms / 157 cms **Note 1.**— The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 cms for males and 155 for females belonging to the hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern Estates. **Note 2.**—The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 cms for males and 154 cms for females in respect of the Scheduled Tribes including Mizos and Nagas. General / Tribals/Adivasis Chest : 80 cms (Unexpanded) / 77 cms 85 cms (Expanded) / 82 cms Weight : Corresponding to height.

	Medical Standards: (a) Eye sight: Should be medically fit in all respects (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing glasses). (b) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By deputation or absorption failing which by direct recruitment.

(12)

By deputation/absorption:

Officers from Central Government Departments or Central Police Organisations holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department or with six years regular service in the Pay Band-1, Rs.5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2800 and possessing qualification as under :-

i) Graduate from a recognised university with Hindi as one of the main subject and English as an elective subject and working knowledge of computer application.

ii) Two years working knowledge of translation from Hindi to English and English to Hindi and computer application.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 2.— For purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For ex-servicemen deputation or re-employment.—

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of,— 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force: Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force : Member 3. Deputy Commandant/Senior Administrative Officer Indo-Tibetan Border Police Force : Member	Not applicable.

[F. No. I. 12013/4/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.